न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश मेवाडा, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 105 / 2018

वादी

1. मधुसुदन एन. पुत्र नीडगल निगाया कौम मोची साकिन सुंगार बिद्दी हल्लाड़ी केरे–हरिहर तहसील हरिहर जिला दावणगेरे कर्नाटका–577601

जरिए प्रकाशचन्द पुत्र पुसाराम जाति सिरवी निवासी बिलावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरलाल पुत्र हराराम
2. सुकड़ी बेवा वंशीलाल
3. दिनेश पुत्र वंशीलाल
4. गोपा राम
5. मालाराम पि0 किशनाराम जातिगण मेघवाल
6. फौजाराम पुत्र पुकाराम
7. रूकमा पुत्री हिम्मताराम
8. घीसीदेवी पत्नि मलाराम
9. भॅवरीदेवी पत्नि रामचन्द्र
10. दिनेश
11. श्रवण
12. राहुल पि0 रामचन्द्र नाबालिगान की कुदरती वलीया माता–भवरीदेवी प्रति0सं0 9 जातिगण मेघवाल निवासीगण–शिवपुरा तहसील–सोजत।
13. भगवानराम उर्फ मगाराम पुत्र मांगीलाल।
14. बायादेवी पत्नि भगवान जातिगण मेघवाल निवासी–झालामण्ड जोधपुर।
15. शंकरलाल पुत्र संगराम मेघवाल निवासी–शिवपुरा।
16. सरिता पत्नि हनुमानराम जाति मेघवाल निवासी–बिलाड़ा जिला जोधपुर।
17. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

<u>राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

उपस्थितिः–

Scanned by CamScanner

1. श्री ताराचंद टांक अधिवक्ता वादी उपस्थित।

2. श्री प्रेमसिह अधियक्ता प्रतिवादीगण

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

—: निर्णय :— दिनांक— 30.07.2019

अधिवक्ता मय वादी ने यह राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी मधुसुदन ने शिवपुरा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि का हिस्सा जरिये बेचान रजिस्ट्री खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। दिनांक 29.01.2018 को खसरा नम्बर 749, 750, 752, 755 कुल किता 4 रकबा 7.6100 हैक्टर में से 1/6 हिस्सा रकवा 1. 2682 हैक्टर बेचानकर्ता खातेदार रूपलाल पुत्र हिरालाल जाति नायक निवासी उमण्ड तहसील कपासन से दिनांक 30.01.2018 को खसरा नम्बर 755 रकबा 3.3900 हैक्टर में से 1/6 हिस्सा 0. 5650 हैक्टर आदुराम पुत्र भेराराम मेगवाल निवासी ढाणी मोटूका जिला जोधपुर से दिनांक 30.01. 2018 खसरा नम्बर 757 कुल रकबा 1.0400 है0 मे से 1/6 हिस्से का 0.1733 है0 आदुराम पुत्र भेराराम मेगवाल निवासी ढाणी मोटूका जोधपुर से, दिनांक 31.01.2018 खसरा नम्बर 757 व 755 कुल किता 2 रकबा 4.4300 हैक्टर में से 1/6 हिस्सा 0.7383 हैक्टर शंकरलाल पुत्र सगाराम मेगवाल निवासी शिवपुरा से, दिनांक 31.01.2018 खसरा नम्बर 757 व 755 कुल किता 2 रकबा 4. 4300 हैक्टर मे से 1/6 हिस्सा 0.7383 फौजाराम पुत्र पुखाराम मेगवाल निवासी शिवपुरा से खरीद किया है। इस प्रकार वादी ने समय समय पर उपरोक्त खातेदारान से कुल 3.4831 हैक्टर की कृषि भूमि खरीद थी। इस वाद में विवादित कृषि भूमि के ख0न0 749, 750, 752, 755 तथा 757 ही है जिसके वर्तमान में वादी तथा प्रतिवादीगण 1 से 16 संयुक्त खातेदार काश्त का है। उक्त बेचान के बाद वादस्थ कृषि भूमि ख0न0 749 तथा 750 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3–6 तथा 7 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 12 का 1/6 हिस्सा शेष रहा। इसी प्रकार ख0न0 752 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3–6–7–8 से 12 एवं 15 का हिस्सा एवं ख0न0 755 में प्रति नं0 1 से 3 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं 13–14 का 1/6 हिस्सा एवं ख0न0 757 में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं 13–14 का हिस्सा शेष रहा। मौके पर पूर्व के तमाम खातेदारान ने अपनी उपरोक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का मौखिक विभाजन आपसी सहमति से कर अपने अपने हिस्से पर काबिज हुए। उसी अनुसार सभी खातेदार का मौके पर मौखिक बंटवाड़ा के रूप में अलग अलग कब्जा काश्त है। उसी अनुरूप प्रत्येक खातेदार अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। चूंकि वादी ने विवादित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में कुल 3.4831 है0 की कृषि भूमि विभिन्न खातेदारान से खरीद की थी। बाद खरीद मौके पर मौखिक रूप से अलग अलग विभाजित होने से ख0न0 755 रकबा 3.3900 हैक्टर की सम्पूर्ण कृषि भूमि तथा शेष रकबा 0.0931 एयर की भूमि ख0न0 752 में प्रतिवादी संख्या 13–14 के हिस्से के लगते ही सरदारसमंद की तरफ रही, उसी माफिक वादी का मौके पर कब्जा काश्त है। समस्त संयुक्त खातेदारान ने अपनी अपनी सुविधानुसार अपने अपने हिस्से को एक ही चक में रखने में सहमति व्यक्त करते हुए मौखिक बंटवाड़ा किया। वादी की खरीदसुदा खातेदारी कृषि भूमि में उसके हिस्से में रही कृषि भूमि ख0न0 755 रकबा 3.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

00 है0 तथा ख0न0 752 में से 0.0931 एयर है, उसी पर वादी का कब्जा काश्त है। शेष खातेदारान प्रतिवादी के हिस्से में ख0न0 749, 750 तथा 752–757 ख0न0 रहा। जिस पर प्रत्येक काश्त कार अपने हिस्से पर काबिज है। प्रतिवादीगण 1 से 5 के हक हिस्से व खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 749–750 व 752 में स्थित है। प्रतिवादीगण 1 से 5 ने ख0न0 752 तथा 13–14 ने ख0न0 752 एवं 755 की धोरापाली को लेकर मौके पर विवाद पैदा कर दिया। वादी ने दिनांक 01.07.2018 को अपने हिस्से की विवादित कृषि भूमि ख0न0 755 व 752 में फसल सुरक्षा हेतु तारबन्दी प्रारम्भ की, खम्भे लगाने हेतु ट्रेक्टर लेकर अपने हिस्से व कब्जा काश्त कृषि भूमि में खण्डे खड़े करवाना प्रारम्भ किया तो मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने व्यवधान पैदा किया। बिना वैध सीमांकन के तारबन्दी करने में रूकावट पैदा की, शेष प्रतिवादीगण से सम्पर्क करने पर उन्होने भी दिनांक 07.07.2018 को बिना वैध सीमांकन के मेड़बन्दी/तारबन्दी कराने से इन्कार कर दिया। तमाम खातेदार मौखिक रूप से अलग अलग काबिज है। वैध बंटवाड़ा सीमांकन के अभाव में प्रत्येक खातेदारान को अपनी अपनी सीमा में मेड़बन्दी तथा हिस्से में रही भूमि के प्रति गंभीर सन्देह है। इसके अभाव में प्रतिवादीगण न तो तारबन्दी करवा रहे है न ही स्वयं मेड़बन्दी कर रहे है बल्कि वादी को उसकी खरीदसुदा भूमि पर बिना वैध बंटवाड़ा तथा अलग अलग खातेदारी ही एक काम विकल्प शेष रहा है जो मात्र न्यायालय द्वारा ही दिया जाना संभव होने से बंटवाड़ा तथा निषेधाज्ञा का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 17 भूधारक है जिसके विरूद्ध मात्र वैध बंटवाड़ा का अनुतोष होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया। शेष प्रतिवादीगण सह खातेदारान होने से आवश्यक पक्षगण बनाये गये है। बिनाय दावा दिनांक 01.07.2018 को वादी द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि पर तारबन्दी प्रारम्भ करने की कार्यवाही पर प्रतिवादीगण 1 से 5 द्वारा व्यवधान पैदा करने तथा दिनांक 07.07.2018 को शेष खातेदारान ने वैधिक बंटवाड़ा बिना तारबन्दी न करने की मंशा प्रकट करने पर पैदा हुआ जो अन्दर म्याद है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त वर्णित विवादित कृषि भूमि सरहद शिवपुरा की ख0न0 749, 750, 752, 755 तथा 757 का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा 53, व 188 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण 4, 6 से 9 तथा 10 से 12 ना0बा0 की ओर से वलिया माता प्रति0 सं0 9 की ओर से श्री प्रेमसिंह टांक अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, सा0 मिसल हो। अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण संख्या 4, 6 से 9, 10 से 12 ना0बा0 की बलिया माता प्रति0 सं0 9 भंवरीदेवी ने ईकबालिया जबाब दावा पेश किया, सा0 मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 5 तथा 13 से 17 को बावजूद तामिली। सूचना बार बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 11.09.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। ईकबालिया जबाब दावा प्रति0 सं0 4, 6 से 9 तथा 15 की ओर से पेश किया कि वाद–पत्र के पद सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि व खातेदारान के दर्शित हिस्सानुसार विक्रय किया है, जो सही है। विवादित भूमि में वर्णित हिस्सानुसार मौके पर प्रत्येक हिस्सेदार का मौखिक बंट अनुसार कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है तथा वैध सीमांकन के अभाव में धोरा पाली माठ को लेकर बार–बार विवाद होना व खातेदारान मौखिक बंट

उप खण्ड अधिकारी
बोजत (जिला-पाली) राज.

सन्देह व्यक्त किया जाना अंकित किया है तथा कानुनन वैध बंटवाड़ा से प्रत्येक खातेदार का संन्देह निवारण हो जाने के तथ्य अंकित किया है। प्रत्येक खातेदार मौखिक आपसी सहमति से अपने–अपने हिस्से पर काबिज होने के तथ्य पर कोई एतराज नहीं होना मात्र संदेह निवारण शेष होना अंकित किया है। मौके पर वर्तमान में खातेदार हिस्सेदार जिस रूप में काबिज काश्त है, इसी अनुसार बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर सीमांकन किये जाने से तथा अलग–अलग बंटवाड़ा होकर बंट कायम होने पर प्रतिवादीगण वैध सीमांकन/बंटवाड़ा किये जाने में सहमति अंकित करते हुए वादी का मात्र ख0न0 755 की सम्पूर्ण भूमि तथा ख0न0 744 में 0.0931 हैक्टर भूमि आती है, उसे अलग वादी के नाम कर बंटवाड़ा किये जाने में स्वीकारोक्ति अंकित कर इसी माफिक डिक्री पारित करने में प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है, बल्कि सहमति व्यक्त की है, ई0ज0 दावा सामिल मिसल किया गया। दिनांक 24.10.2018 को आज अधियक्ता वादी ने फहरिश्त मय दस्तावेजात एवं शहादत वादी पी0डब्लयु0–1 प्रकाशचन्द आ0 मुख्तियार का तस्दीक सुदा शपथ–पत्र पेश किया, सामिल मिसल किया गया। तस्दीक सुदा शपथ–पत्र का पी0डब्ल्यु–1 शहादत वादी प्रकाशचन्द से मुख्य परीक्षण करवाया गया तथा दस्तावेजात प्रदर्श 1 से 12 प्रदर्शित करवाये गये, कलमबन्द किये गये बयान, सामिल मिसल किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने माफिक राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कब्जे की स्थिति अनुसार प्राथमिक रूप से वाद डिक्री कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस के जबाब में अधिवक्ता प्रति0 ने हस्ब ई0ज0दा0 वाद डिक्री किये जाने तथा उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादी की भूमि का बंटवाड़ा भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाये जाने में स्वीकारोक्ति व्यक्त की है। प्रस्तुत वाद मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात तथा ई0ज0दा0 का गहनातापूर्वक अध्ययन किया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अपने–अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिससे माफिक राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर कब्जे काश्त अनुसार वादी की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हुये वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना तथा माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से, मौके पर कब्जे अनुसार मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाया जाना उचित माना गया। वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की गई कि सरहद मौजा–शिवपुरा तहसील–सोजत में स्थित कृषि भूमि ख0न0 749, 750, 752, 755 व 757 की भूमि में वादी की 1/6 हिस्से की भूमि का वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कब्जे की स्थिति अनुसार मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता लगान अलग–अलग किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किए जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को अधिकृत कर आदेशित किया जाता है। मौके पर नाप चौप कर (नेखमबन्दी) एवं पत्थरगढी करवाई जावें। प्राथमिक डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर सामिल पत्रावली किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय तथा प्राथमिक डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई गई। न्यायालय हाजा द्वारा तहरीर पत्रांक / कोर्ट /2018/859

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

क 15.11.2018 जारी की जाकर प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.10.2018 की प्रमाणित तिलिपि वास्ते पालनार्थ तहसीलदार सोजत को भेजकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करके विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने पत्रांक/रीडर/19/159 दिनांक 21.02.2019 द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। न्यायालय हाजा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय सुनी जाकर न्यायालय हाजा पत्रांक/कोर्ट/2019 /345 दिनांक 03.06.2019 द्वारा मात्र वादी की भूमि का बंटवाडा किया जाकर विभाजर प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश करने पर उसे आपत्तिजनक मानते हुय पुनः दुरूस्त करते हुये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करके विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने पुनः आदेशानुसार बंटवाडा कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.10. 2018 की अनुपालना में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया, सामिल मिसल किया गया ।

बहस वकुलाय सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानाके में विभाजन / बंटवाडा किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने सहमति व्यक्त कर स्वीकारोक्ति दी है।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय तथा स्वीकारोक्ति उभय पक्ष पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार सोजत के पत्रांक/राजस्व/2019/2527 दिनांक 15.07.2019 अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना एवं वादी की भूमि का पक्षकारों में बंटवाडा / विभाजन किया जाना तथा वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलदांजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

—:: आदेश ::—

अतः माफिक तहसीलदार सोजत के पत्रांक राजस्व/2019/2557 दिनाक 15.07. 2019 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा शिवपुरा के खसरा नम्बर 749, रकबा 1.3400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 750 रकबा 1.5600 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल। खसरा नम्बर 752 रकबा 1.3200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 755 रकबा 3.3900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, नम्बर 757 रकबा 1.0400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, की भूमि का तहसीलदार सोजत द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान् के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को इस निर्णय एवं डिक्री का भाग बनाया जाता है –

क्र.सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत कोमीयत व सकुनत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	बायादेवी पत्नी भगवानराम कौम मेगवाल सा0 झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर खातेदार	757	0.6934	बारानी अव्वल	3.467
02	गजरीदेवी पत्नी हराराम , भवरलाल पुत्र हराराम, सुकडी पत्नी बंशीलाल दिनेश पुत्र बंशीलाल कौम मेगवाल सा0 झालामण्ड तहसील जोधपुर खातेदार	757/1	0.1733	बारानी अव्वल	0.8665
03	गोपाराम मालाराम पिता किशनाराम कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार	757/2	0.1733	बारानी अव्वल	0.8665
04	मधुसुदन एन पुत्र नीडगल निगापा कौम मोची सा. कर्नाटक तह0 हरिहर जिला दावणगेरे (कर्नाटक) खातेदार	755	3.39	बारानी अव्वल	16.95
05	फोजाराम पुत्र पुकाराम कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	749 750	0.2233 0.2450	बारानी अव्वल	1.1165 1.225
	योग–	कुल 2	2.3415		
06	गजरीदेवी पत्नी हराराम, भंवरलाल पुत्र हराराम सुकडी पत्नी बंशीलाल दिनेश पुत्र बंशीलाल कौम मेगवाल सा.देह खातेदार	749/1 750/1	0.4466 0.4900	बारानी अव्वल	2.233 2.45
	योग–	कुल 2	0.9366		4.683
07	घीसीदेवी पत्नी भलाराम, चम्पा पुत्री भलाराम रामचन्द्र पुत्र भलाराम, कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार	749/2 750/2	0.2233 0.2450	बारानी अव्वल	1.1165 1.225
	योग–	कुल 2	0.4683		2.3415
08	अणचाई पत्नी हिमताराम रूकमा पुत्री हिमताराम कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	749/3 750/3	0.2234 0.2450	बारानी अव्वल	1.117 1.225
	योग–	कुल 2	0.4684		2.342
09	शंकरलाल पुत्र सगराम कौम मेगवाल सा.देह खातेदार	749/4	0.2234	बारानी अव्वल	1.117
10	सरिता पत्नी हनुमानराम कौम मेगवाल सा. बिलाडा जिला जोधपुर खातेदार	750/4	0.2450	बारानी अव्वल	1.225
11	फोजाराम पुत्र पुकाराम, गजरीदेवी पत्नी हराराम, भंवरलाल पुत्र हराराम, सुकडी पत्नी बंशीलाल,दिनेश पुत्र बंशीलाल,अणचाई पत्नी हिमताराम, रूकमा पुत्री हिमताराम, घीसी पत्नी भलाराम, चम्पा पुत्री भलाराम, रामचन्द्र पुत्र भलाराम सा. देह सरिता पत्नी हडमानराम कौम मेगवाल सा.बिलाडा जिला जोधपुर खातेदार	750/5	0.09	बारानी अव्वल	0.45
12	मधुसुदन एन पुत्र नीडमल निगापा कौम मोची सा. कर्नाटक 8589 सुंगार बिददी हलाडीकेरे हरिहर तह0 हरिहर जिला दावणगेरे कनोटक खातेदार	752	0.0933	बारानी अव्वल	0.4665
13	शंकरलाल पुत्र सगराम कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	752/1	0.2200	बारानी अव्वल	1.1
14	भगवानराम उर्फ भगाराम पुत्र मांगीलाल कौम मेगवाल सा. झालामण्ड तह0 जिला जोधपुर खातेदार	752/2	0.2042	बारानी अव्वल	1.021
15	बायादेवी पत्नी भगवानराम कौम मेगवाल सा. झालामण्ड तह0 जिला जोधपुर खातेदार	752/3	0.2550	बारानी अव्वल	1.275
16	गजरी पत्नी हराराम, भंवरलाल पुत्र हराराम, सुकडी पत्नी बंशीलाल, दिनेश पुत्र बंशीलाल कौम	752/4	0.0875	बारानी अव्वल	0.4875

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

	मेगवाल सा0 झालामण्ड तह0 जिला जोधपुर				
	फोजाराम पुत्र पुकाराम कौम मेगवाल सा0 झालामण्ड तह0 जिला जोधपुर खातेदार	752/5	0.2050	बारानी अव्वल	1.025
18	घीसीदेवी पत्नी भलाराम, चम्पा पुत्री भलाराम, भंवरीदेवी पत्नी राचन्द, दिनेश श्रवण राहुल पिता रामचन्द्र कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	752/6	0.2050	बारानी अव्वल	1.025
19	फोजाराम पुत्र पुकाराम, गजरी पत्नी हराराम,सुकडी पत्नी बंशीलाल, दिनेश पुत्र बंशीलाल भंवरलाल पुत्र हराराम, बायादेवी पत्नी भगवानराम कौम मेगवाल सा. झालामण्ड तह जिला जोधपुर घीसीदेवी पत्नी भलाराम, चम्पा पुत्री भलाराम, भवरीदेवी पत्नी रामचन्द्र, दिनेश, श्रवण, राहुल पिता रामचन्द्र कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	752/7	0.05	बारानी अव्वल	0.25

उपरोक्त विभाजन / बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मय तहसीलदार सोजत द्वारा दर्शित खसरा नम्बर 750/5 एवं खसरा नम्बर 752/7 रकबा क्रमशः 0.09 एवं 0.05 हैक्टर रास्ते के उपयोग में ली जायेगी जो सामलाती / सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगी।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को निर्णय एवं डिक्री का एक भाग माना जावे। डिक्री परचा मुर्तिब होकर सामिल मिसल हों। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रतिया भेजी जाकर पालना मंगवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हों।

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाबता दीवानी)

बइजलाश श्री अयूब खान, आर.ए.एस.

वादी | **बनाम** | **बनाम**

1. मधुसुदन एन. पुत्र नीडगल निगाया कौम मोची साकिन सुंगार बिद्दी हल्लाड़ी केरे– हरिहर तहसील हरिहर जिला दावणगेरे कर्नाटका–577601

   जरिए प्रकाशचन्द पुत्र पुसाराम जाति सिरवी निवासी बिलावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र हराराम
2. सुकड़ी बेवा बंशीलाल
3. दिनेश पुत्र बंशीलाल
4. गोपा राम
5. मालाराम पि0 किशनाराम जातिगण मेघवाल
6. फौजाराम पुत्र पुकाराम
7. रूकमा पुत्री हिम्मताराम
8. घीसीदेवी पत्नि मलाराम
9. भॅवरीदेवी पत्नि रामचन्द्र
10. दिनेश
11. श्रवण
12. राहुल पि0 रामचन्द्र नाबालिगान की कुदरती वलीया माता–भवरीदेवी प्रति0सं0 9 जातिगण मेघवाल निवासीगण–शिवपुरा तहसील–सोजत।
13. भगवानराम उर्फ मगाराम पुत्र मांगीलाल।
14. बायादेवी पत्नि भगवान जातिगण मेघवाल निवासी–झालामण्ड जोधपुर।
15. शंकरलाल पुत्र संगराम मेघवाल निवासी–शिवपुरा।
16. सरिता पत्नि हनुमानराम जाति मेघवाल निवासी–बिलाड़ा जिला जोधपुर।
17. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

<u>राजस्व वाद बाबत घोषणा दिलवाने कब्जा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 183 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

राजस्व मूल वाद संख्या :–105/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री ताराचंद टांक अधिवक्ता वादीगण तथा श्री प्रेमसिंह टांक अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक तहसीलदार सोजत के पत्रांक राजस्व/2019/2557 दिनाक 15.07.2019 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा शिवपुरा के खसरा नम्बर 749, रकवा 1.3400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 750 रकबा 1.5600 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल। खसरा नम्बर 752 रकबा 1.3200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 755 रकबा 3.3900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, नम्बर 757 रकबा 1.0400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, की भूमि का तहसीलदार सोजत द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान् के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को इस निर्णय एवं डिक्री का भाग बनाया जाता है –

क्र.सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत कोमीयत व सकुनत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	बायादेवी पत्नी भगवानराम कौम मेगवाल सा0 झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर खातेदार	757	0.6934	बारानी अव्वल	3.467
02	गजरीदेवी पत्नी हराराम , भवरलाल पुत्र हराराम, सुकडी पत्नी बंशीलाल दिनेश पुत्र बंशीलाल कौम मेगवाल सा0 झालामण्ड तहसील जोधपुर खातेदार	757/1	0.1733	बारानी अव्वल	0.8665
03	गोपाराम मालाराम पिता किशनाराम कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार	757/2	0.1733	बारानी अव्वल	0.8665
04	मधुसुदन एन पुत्र नीडगल निगापा कौम मोची सा. कर्नाटक तह0 हरिहर जिला दावणगेरे (कर्नाटक) खातेदार	755	3.39	बारानी अव्वल	16.95
05	फोजाराम पुत्र पुकाराम कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	749 750	0.2233 0.2450	बारानी अव्वल	1.1165 1.225
	योग–	कुल 2	2.3415		
06	गजरीदेवी पत्नी हराराम, भंवरलाल पुत्र हराराम सुकडी पत्नी बंशीलाल दिनेश पुत्र बंशीलाल कौम मेगवाल सा.देह खातेदार	749/1 750/1	0.4466 0.4900	बारानी अव्वल	2.233 2.45
	योग–	कुल 2	0.9366		4.683
07	घीसीदेवी पत्नी भलाराम, चम्पा पुत्री भलाराम रामचन्द्र पुत्र भलाराम, कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार	749/2 750/2	0.2233 0.2450	बारानी अव्वल	1.1165 1.225
	योग–	कुल 2	0.4683		2.3415
08	अणचाई पत्नी हिमताराम रूकमा पुत्री हिमताराम कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	749/3 750/3	0.2234 0.2450	बारानी अव्वल	1.117 1.225
	योग–	कुल 2	0.4684		2.342
09	शंकरलाल पुत्र सगराम कौम मेगवाल सा.देह खातेदार	749/4	0.2234	बारानी अव्वल	1.117
10	सरिता पत्नी हनुमानराम कौम मेगवाल सा. बिलाडा जिला जोधपुर खातेदार	750/4	0.2450	बारानी अव्वल	1.225
11	फोजाराम पुत्र पुकाराम, गजरीदेवी पत्नी हराराम, भंवरलाल पुत्र हराराम, सुकडी पत्नी	750/5	0.09	बारानी अव्वल	0.45

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज०

Scanned by CamScanner

	बंशीलाल,दिनेश पुत्र बंशीलाल,अणचाई पत्नी हिमताराम, रूकमा पुत्री हिमताराम, घीसी पत्नी भलाराम, चम्पा पुत्री भलाराम, रामचन्द्र पुत्र भलाराम सा. देह सरिता पत्नी हडमानराम कौम मेगवाल सा.बिलाडा जिला जोधपुर खातेदार				
12	मधुसुदन एन पुत्र नीडमल निगापा कौम गोची सा. कर्नाटक 8589 सुंगार बिददी हलाडीकेरे हरिहर तह0 हरिहर जिला दावणगेरे कनोटक खातेदार	752	0.0933	बारानी अव्वल	0.4665
13	शंकरलाल पुत्र सगराम कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	752/1	0.2200	बारानी अव्वल	1.1
14	भगवानराम उर्फ भगाराम पुत्र मांगीलाल कौम मेगवाल सा. झालामण्ड तह0 जिला जोधपुर खातेदार	752/2	0.2042	बारानी अव्वल	1.021
15	बायादेवी पत्नी भगवानराम कौम मेगवाल सा. झालामण्ड तह0 जिला जोधपुर खातेदार	752/3	0.2550	बारानी अव्वल	1.275
16	गजरी पत्नी हराराम, भंवरलाल पुत्र हराराम, सुकडी पत्नी बंशीलाल, दिनेश पुत्र बंशीलाल कौम मेगवाल सा0 झालामण्ड तह0 जिला जोधपुर	752/4	0.0875	बारानी अव्वल	0.4875
17	फोजाराम पुत्र पुकाराम कौम मेगवाल सा0 झालामण्ड तह0 जिला जोधपुर खातेदार	752/5	0.2050	बारानी अव्वल	1.025
18	घीसीदेवी पत्नी भलाराम, चम्पा पुत्री भलाराम, भंवरीदेवी पत्नी राचन्द, दिनेश श्रवण राहुल पिता रामचन्द्र कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	752/6	0.2050	बारानी अव्वल	1.025
19	फोजाराम पुत्र पुकाराम, गजरी पत्नी हराराम,सुकडी पत्नी बंशीलाल, दिनेश पुत्र बंशीलाल भंवरलाल पुत्र हराराम, बायादेवी पत्नी भगवानराम कौम मेगवाल सा. झालामण्ड तह जिला जोधपुर घीसीदेवी पत्नी भलाराम, चम्पा पुत्री भलाराम, भवरीदेवी पत्नी रामचन्द्र, दिनेश, श्रवण, राहुल पिता रामचन्द्र कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	752/7	0.05	बारानी अव्वल	0.25

उपरोक्त विभाजन / बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मय तहसीलदार सोजत द्वारा [illegible] खसरा नम्बर 750/5 एवं खसरा नम्बर 752/7 रकबा क्रमशः 0.09 एवं 0.05 हैक्टर रास्ते के उपयोग में ली जायेगी जो सामलाती / सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगी।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को निर्णय एवं डिक्री का एक भाग माना जावे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रतिया भेजी जाकर पालना मंगवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हों।

मीजान – मुबलिग – बाबत –

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से रोज वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

वशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.07.2019 को सरे इजलास जारी की गई।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
जिला–पाली

उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज.

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned by CamScanner